

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम।

फरियादी अमरचंद स्वयं उपस्थित।

उभयपक्ष ने राजीनामा की चर्चा हेतु समय चाहा तथा प्रकरण नेशनल मेगा

लोक अदालत में रखे जाने का निवेदन किया।

प्रकरण राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.11.16 को पेश हो।

(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
के तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 21
दि० 12.11.16 में प्रकरण रखा गया।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

फरियादी अमरचंद स्वयं उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत ड्राफ्ट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री बी०आर० चौरसिया एवं अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि० की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य
सदस्य

पीठासीन अधिकारी
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण